सिविल मिसेलेनियस

समक्ष मुख्य न्यायमूर्ति मेहर सिंह,. और न्यायमूर्ति शमशेर बहादुर,

दलीप सिंह और अन्य ,- याचिकाकर्ता

बनाम

सुपरिंटिंग कैनाल अधिकारी, वेस्ट सर्कल, रोहतक और अन्य,-उत्तरदाता

सिविल रिट नं। 1967 का 408

8 अप्रैल, 1968

उत्तर भारत नहर और जल निकासी अधिनियम (1873 का VIII)-Ss. 30-ए, 30-बी और 30-सी-संभागीय नहर अधिकारी योजना को मंजूरी नहीं दे रहे हैंऐसे आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण-चाहे वह बनाए रखने योग्य हो-पुनरीक्षण के संबंध में अधिकारिता-क्या किसी कानून द्वारा प्रदान किया जाना है।

अभिनिर्धारित किया गया कि उत्तर भारत नहर और जल निकासी अधिनियम की धारा 30-सी के तहत मंडल नहर अधिकारी द्वारा जो प्रकाशित किया जाना है, वह उनके द्वारा अनुमोदित योजना का विवरण है और इसका उद्देश्य शेयरधारकों से इसे लागू करने का आह्वान करना है। एक योजना जो अनुमोदित या अस्वीकृत नहीं है, उसे प्रकाशित या कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है। धारा 30-ग के अधीन प्रकाशित स्कीम के संबंध में केवल धारा 30-ख की धारा (3) के अधीन पुनरीक्षण की अनुमति है और यदि यह निष्कर्ष निकलता है कि धारा 30-ग के अधीन किसी स्कीम को अस्वीकृत या अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है तो ड्राफ्ट स्कीम की अस्वीकृति या अस्वीकृति के विरुद्ध अधीक्षण नहर अधिकारी को धारा 30-ख की उपधारा (3) द्वारा पुनरीक्षण की कोई शक्ति नहीं दी जाती है। प्रकाशन के लिए धारा 30-सी में निर्धारित शर्त एक अनुमोदन योजना के संबंध में है जिसका उद्देश्य शेयरधारकों को इसे लागू करने के लिए बुलाना है। यह तब होता है जब शेयरधारक इस प्रकार एक अनुमोदित योजना को लागू करने के लिए बुलाए गए क़ानून के तहत होते हैं, तो उनमें से किसी को ऐसी अनुमोदित योजना के खिलाफ शिकायत हो सकती है, और। जब उसके पास वह है, तो उसे अधीक्षण नहर अधिकारी को अनुमोदित योजना के विरुद्ध धारा 30-ख की उपधारा (3) के अधीन पुनरीक्षण के माध्यम से संपर्क करने का अधिकार दिया गया है। इस अधिकारी को अपने दम पर हस्तक्षेप करने की शक्ति धारा 30-सी के अनुसार प्रकाशित एक अनुमोदित योजना के लिए भी है। ताकि न तो धारा 30-ग में और न ही धारा 30-ख की उपधारा (3) में 'अनुमोदित' शब्द को 'अस्वीकृत' शब्द को शामिल करने के लिए पढ़ा जा सके। इसलिए, अधीक्षण नहर अधिकारी के पास अधिनियम की धारा 30-बी की उप-धारा (3) के तहत योजना को अस्वीकार करने वाले संभागीय नहर अधिकारी के आदेशों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। (Para 7)

अभिनिर्धारित किया गया है कि पुनरीक्षण के संबंध में वह अधिकारिता, जितनी अपील का अधिकार है, एक कानून में संवितरण द्वारा है और अन्यथा नहीं है और इस प्रकार इसे कानून में उसी के संबंध में निर्धारित शर्तों तक सीमित होना है। (Para 7)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिका, जिसमें अनुरोध किया गया है कि अधीक्षण नहर अधिकारी के आदेश, दिनांक 9 फरवरी, 1967 को रद्द करते हुए एक उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।

याचिकाकर्ताओं की ओर से एस. पी. गोयल, अधिवक्ता।

जी. सी. मित्तल, महाधिवक्ता, हरियाणा और ए. एस. नेहरा, अधिवक्ता, प्रत्यर्थियों की ओर से।

फैसला

मुख्य न्यायमूर्ति मेहर सिंह, . -इससे दो याचिकाओं का निपटान होगा नं। पहली याचिका में दस याचिकाकर्ताओं और दूसरी याचिका में नौ याचिकाकर्ताओं द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत 1967 के 537 और 408, हिसार जिले की तहसील हांसी के गांव सिसाई बोला से संबंधित याचिकाकर्ताओं के दोनों समूह। पहली याचिका में छह प्रतिवादी हैं जिनमें से पहले दो हरियाणा राज्य हैं, और अधीक्षण नहर अधिकारी, W.J.C., पश्चिम सर्कल, रोहतक, और उत्तरदाता 3 से 6 रामेश्वर, बीर सिंह, उजाला और बदला हैं; और दूसरी याचिका में पांच उत्तरदाता हैं जिनमें से पहला अधीक्षण नहर अधिकारी, W.J.C., पश्चिम सर्कल, रोहतक है, और उत्तरदाता 2 से 5 पहलाद हैं। बारू, हवा और हरनारैन।

(2) पहली याचिका में 3 से 6 प्रत्यर्थियों और दूसरी याचिका में 2 से 5 प्रत्यर्थियों द्वारा डिवीजनल कैनाल ऑफिसर को दो आउटलेट्स को स्थानांतरित करने के लिए, उसी के वर्तमान स्थान से, उस संबंध में ड्राफ्ट योजनाओं को डिवीजनल कैनाल ऑफिसर द्वारा उत्तर भारत कैनाल और ड्रेनेज एक्ट, 1873 की धारा 30-ए (एल) (डी) के तहत तैयार किया गया था। (Act 8 of 1873). पहली याचिका में 3 से 6 प्रत्यर्थियों ने सिसाई नाबालिग पर आउटलेट आरडी 19000-आर को आरडी 17985-आर में स्थानांतरित करने के लिए कहा था। 11 अक्टूबर, 1966 के अपने आदेश, अनुलग्नक 'बी' में, संभागीय नहर अधिकारी ने इस मांग को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इस प्रकार सिंचाई दीवार के निकास हितों को पूरा नहीं किया जाएगा क्योंकि यदि ऐसा किया जाता है तो निकास चक के एक कोने में स्थित होगा। उन्होंने 30 सितंबर, 1966 को स्थल का निरीक्षण किया था और पाया कि मौजूदा आउटलेट आरडी 19000-आर का स्थान सबसे उपयुक्त था। दूसरी याचिका में 2 से 5 प्रत्यर्थियों ने सिसाई माइनर पर आउटलेट आरडी 10000-आर को आरडी 12000-आर में स्थानांतरित करने के लिए कहा था, लेकिन यह इंगित करते हुए कि 30 सितंबर, 1966 को साइट के निरीक्षण पर, उसी आदेश को डिवीजनल कैनाल ऑफिसर ने खारिज कर दिया था। संभागीय नहर अधिकारी के इस आदेश के विरुद्ध दोनों उत्तरदाताओं द्वारा अधीक्षण नहर अधिकारी को पुनरीक्षण आवेदन दिए गए थे। इस अधिकारी ने 2 फरवरी, 1967 के अपने आदेश द्वारा उन पुनरीक्षण आवेदनों का निपटान किया और दोनों पुनरीक्षण आवेदनों को स्वीकार करते हुए दोनों आउटलेट्स को स्थानांतरित कर दिया जैसा कि उत्तरदाताओं के दोनों समूहों द्वारा मांग की गई थी। इन दो याचिकाओं में अधीक्षण नहर अधिकारी के आदेश को चुनौती दी गई है कि यह कानून के अनुसार नहीं है और इस प्रकार अमान्य है।

(3) अधीक्षण नहर अधिकारी के एक ही आदेश के विरुद्ध निर्देशित की जा रही दो याचिकाओं पर एक साथ विचार किया गया है। पहली याचिका सबसे पहले जे. ग्रोवर के समक्ष आई, जिन्होंने 4 अगस्त, 1967 को एक आदेश दिया, जिसमें याचिका नं. एक बड़ी पीठ को 1967 का 537, और निश्चित रूप से दूसरी याचिका नं। 1967 का 408 पहले के साथ इस पीठ के समक्ष आया है। याचिका में नं. 1967 का 537, न्यायमूर्ति ग्रोवर ने पाया कि ऐसी कोई सामग्री नहीं थी जो अधीक्षण नहर अधिकारी के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण आरोप का समर्थन करती हो कि उन्होंने बाहरी विचारों पर अपना आदेश दिया था। उनकी यह भी राय थी कि अधीक्षण नहर अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश की योग्यता इस तरह की याचिका में याचिकाकर्ताओं के पक्ष में बहस के लिए खुली नहीं थी। ये दोनों विचार निश्चित रूप से दूसरी याचिका संख्या में समान आरोपों पर भी लागू होते हैं। 1967 का 408 इस तरह के विचारों पर विद्वान न्यायाधीश की राय थी कि अधीक्षण नहर अधिकारी के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है और यह, मेरी राय में, सही दृष्टिकोण था।

(4) तथापि, विद्वत न्यायाधीश ने विधि के प्रश्न को एक वृहत न्यायपीठ को निर्दिष्ट किया है, क्योंकि पहली याचिका में याचिकाकर्ताओं की ओर से उनके समक्ष यह आग्रह किया गया था कि 1873 के अधिनियम 8 के उपबंधों के अधीन कोई पुनरीक्षण आवेदन संभागीय नहर अधिकारी के आदेश से अधीक्षण नहर अधिकारी को सक्षम नहीं था। इस संबंध में स्थिति दूसरी याचिका में बिल्कुल वैसी ही है। यह इस प्रश्न के निर्णय के लिए है कि ये याचिकाएं इस पीठ के समक्ष हैं।

(5) 1873 के अधिनियम 8 में धारा 30-क का सुसंगत भाग। को? (क) इस अधिनियम में इसके विपरीत किसी बात के होते हुए भी और इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा विहित नियमों के अधीन रहते हुए, संभागीय नहर अधिकारी, अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या किसी अंशधारक के आवेदन पर, सभी या किसी भी मामले के लिए उपबंध करने के लिए एक मसौदा योजना तैयार कर सकता है, अर्थात्-* * * * (घ) कोई अन्य मामला जो जलमार्ग से पानी की आपूर्ति के उचित रखरखाव और वितरण के लिए आवश्यक है।

(2) उपधारा (1) के अधीन तैयार की गई प्रत्येक योजना, अन्य मामलों के अलावा, उसकी अनुमानित लागत, प्रस्तावित जलमार्ग का संरेखण या विद्यमान जलमार्ग का, यथास्थिति, पुनर्संरेखण, निर्गम स्थल, लाभान्वित होने वाले शेयरधारकों और इससे प्रभावित होने वाले अन्य व्यक्तियों के विवरण और योजना के अंतर्गत आने वाले प्रस्तावित क्षेत्र के लिए एक रेखाचित्र योजना निर्धारित करेगी।

फिर धारा 30-बी और 30-सी में लिखा है-"30-बी। (1) प्रत्येक योजना, जितनी जल्दी हो सके, इसके तैयार होने के बाद, प्रकाशन के इक्कीस दिनों के भीतर इस संबंध में आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करते हुए इस संबंध में बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित किए गए रूप और तरीके से प्रकाशित की जाएगी।

(2) ऐसी आपत्तियों और सुझावों, यदि कोई हों, पर विचार करने के बाद, संभागीय नहर अधिकारी योजना को या तो उसी रूप में अनुमोदित करेगा जैसा कि इसे मूल रूप से तैयार किया गया था या ऐसे संशोधित रूप में जिसे वह उचित समझे।

(3) अधीक्षण नहर अधिकारी, धारा 30-ग के अधीन स्कीम के विवरणों के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर अनुमोदित स्कीम से व्यथित किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी समय या किसी आवेदन पर, संभागीय नहर अधिकारी द्वारा अनुमोदित स्कीम को संशोधित कर सकता हैः बशर्ते कि ऐसा संशोधन प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना नहीं किया जाएगा।

30-सी। संभागीय नहर अधिकारी, जितनी जल्दी हो सके, धारा 30-ख की उपधारा (2) के तहत उसके द्वारा अनुमोदित योजना के विवरणों को निर्धारित तरीके से प्रकाशित करेगा और शेयरधारकों से अपने द्वारा निर्दिष्ट की जाने वाली अवधि के भीतर अपनी लागत पर इसे लागू करने का आह्वान करेगा। "

(6) याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील का तर्क बहुत सरल है कि अधिनियम की धारा 30-सी के तहत एक संभागीय नहर अधिकारी को धारा 30-बी की उपधारा (2) के तहत उसके द्वारा अनुमोदित योजना को प्रकाशित करने का आदेश दिया गया है, जिसमें शेयरधारकों को इसे लागू करने के लिए कहा गया है। इस प्रकार यह इस अधिनियम की धारा 30-सी के तहत प्रकाशित एक योजना है जिसे अधीक्षण नहर अधिकारी द्वारा धारा 30-बी (3) के तहत या तो किसी भी समय या किसी पीड़ित व्यक्ति द्वारा आवेदन पर संशोधित किया जा सकता है, लेकिन जब डिवीजनल नहर अधिकारी द्वारा अनुमोदित कोई योजना नहीं है, तो धारा 30-सी के तहत कुछ भी प्रकाशित नहीं किया जा सकता है और ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके खिलाफ धारा 30-बी के तहत अधीक्षण नहर अधिकारी को

पुनरीक्षण आवेदन किया जा सकता है। (3). याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वत वकील ओहने मूर बनाम अकेशेह ताई (1) को संदर्भित करता है जिसमें प्रिवी काउंसिल के उनके लॉर्डशिप्स ने यह अभिनिर्धारित किया कि सभी अपीलें केवल क़ानून द्वारा मौजूद हैं और जब तक कि वैधानिक शर्तें पूरी नहीं होती हैं, तब तक किसी भी न्यायालय को उन पर विचार करने के लिए कोई अधिकार क्षेत्र नहीं दिया जाता है, और विद्वत वकील आग्रह करता है कि जहां तक पुनरीक्षण आवेदन दायर करने के अधिकार के प्रश्न का संबंध है, कानून में स्थिति बिल्कुल समान है। उत्तरदाताओं की ओर से इससे इनकार नहीं किया गया है और वास्तव में इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन उनके पक्ष में यह स्थिति ली गई है कि इस अधिनियम की धारा 30-बी या धारा 30-सी में दिखाई देने वाले 'अनुमोदित' शब्द को 'अस्वीकृत' शब्द को भी शामिल करने के लिए पढ़ा जाना चाहिए, अन्यथा यह इंगित किया जाता है कि एक बार धारा 30-ए के तहत मंडल नहर अधिकारी द्वारा एक मसौदा योजना तैयार की जाती है, तो धारा 30-बी की उप-धारा (2) के तहत वह केवल मूल रूप से तैयार या संशोधित के रूप में योजना को मंजूरी दे सकता है। ताकि एक बार उसके द्वारा एक मसौदा योजना तैयार किए जाने के बाद उसे इसे अस्वीकार नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे केवल धारा 30-बी की उप-धारा (2) में प्रदान किए गए तरीके से अनुमोदित करना चाहिए, एक निष्कर्ष, यह उत्तरदाताओं की ओर से आग्रह किया गया है जैसा कि ग्रोवर जे के समक्ष आग्रह किया गया था कि यह संतोषजनक नहीं है और विसंगत परिणामों की ओर ले जा रहा है, ताकि अधिनियम की धारा 30-ए, 30-बी और 30-सी का निर्माण ऐसा हो कि इस तरह के विसंगत परिणामों का कारण न बने। यह भी बताया गया है कि यदि धारा 30-ख और धारा 30-ग में 'अनुमोदित' शब्द को 'अस्वीकृत' शब्द के रूप में नहीं पढ़ा जाता है, तो वर्तमान मामलों में मंडलीय नहर अधिकारी ने मसौदा योजनाओं को तैयार किया है, वह उन योजनाओं को अस्वीकार नहीं कर सकता है, और इस प्रकार उनके आदेश इस वैधानिक प्रावधान के खिलाफ होंगे। हालाँकि, कोई भी इस न्यायालय के समक्ष संभागीय नहर अधिकारी के आदेशों को चुनौती देने के लिए आगे नहीं आया है और इस प्रकार यह विचार प्रबल नहीं हो सकता है। संभागीय नहर अधिकारी के आदेशों की वैधता या वैधता केवल तभी देखी जा सकती है जब उन्हें चुनौती दी जाती है जो इन याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा नहीं किया जाता है।

(7) अधिनियम की धारा 30-ग और धारा 30-ख की उपधारा (3) में प्रयुक्त भाषा के कारण प्रत्यर्थियों की ओर से विवाद प्रबल नहीं हो सकता है। धारा 30-सी के तहत संभागीय नहर अधिकारी द्वारा जो प्रकाशित किया जाना है, वह उसके द्वारा अनुमोदित योजना का विवरण है और इसका उद्देश्य शेयरधारकों को इसे लागू करने के लिए कहना है। अनुमोदित या अस्वीकृत नहीं की गई योजना को लागू नहीं किया जा सकता है और यदि उत्तरदाताओं की ओर से इस तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है, तो धारा 30-सी का एक हिस्सा निरर्थक हो जाएगा। विधायिका पर रिडंडेंसी का आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए। एक बार जब यह निष्कर्ष निकल जाता है तो धारा 30-ग के अधीन प्रकाशित स्कीम के संबंध में धारा 30-ख की धारा (3) के अधीन संशोधन की अनुमति दी जाती है और यदि यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि धारा 30-ग के अधीन स्कीम अस्वीकृत या अस्वीकृत नहीं की जा सकती है तो ड्राफ्ट स्कीम की अस्वीकृति या अस्वीकृति के विरुद्ध अधीक्षण नहर अधिकारी को धारा 30-ख की उपधारा (3) द्वारा पुनरीक्षण की कोई शक्ति नहीं दी जाती है। पुनरीक्षण के संबंध में अधिकारिता, अपील के अधिकार के रूप में, एक क़ानून में प्रदान करके है और अन्यथा नहीं, और इस प्रकार क़ानून में उसी के संबंध में निर्धारित शर्तों तक सीमित होना चाहिए। प्रकाशन के लिए धारा 30-सी में निर्धारित शर्त एक अनुमोदित योजना के संबंध में है, जैसा कि कहा गया है, जिसका उद्देश्य शेयरधारकों को इसे लागू करने के लिए बुलाना है। यह तब है जब शेयरधारक इस प्रकार एक अनुमोदित

योजना को लागू करने के लिए बुलाए गए क़ानून के तहत हैं कि उनमें से किसी को ऐसी अनुमोदित योजना के खिलाफ शिकायत हो सकती है, और जब उसके पास वह है, तो उसे अधीक्षण नहर अधिकारी को अनुमोदित योजना के खिलाफ धारा 30-बी की उप-धारा (3) के तहत संशोधन के माध्यम से संपर्क करने का अधिकार दिया गया है। इस अधिकारी को अपने दम पर हस्तक्षेप करने की शक्ति धारा 30-सी के अनुसार प्रकाशित एक अनुमोदित योजना के लिए भी है।

ताकि न तो धारा 30-ग में और न ही धारा 30-ख की उपधारा (3) में 'अनुमोदित' शब्द को 'अस्वीकृत' शब्द को शामिल करने के लिए पढ़ा जा सके। इस दृष्टिकोण पर यह तुरंत स्पष्ट है कि अधीक्षण नहर अधिकारी, प्रत्यर्थी को अधिनियम की धारा 30-बी की उप-धारा (3) के तहत संभागीय नहर अधिकारी के आदेशों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था जो आउटलेट को स्थानांतरित करने से इनकार कर रहे थे। अतः दोनों याचिकाओं में अधीक्षण नहर अधिकारी के विवादित आदेशों को रद्द कर दिया जाता है, लेकिन मामले की परिस्थितियों में, इन याचिकाओं में लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं है।

शमशेर बहादुर, जे।(8) मेरे प्रभु मुख्य न्यायाधीश से इस बात पर सहमति जताते हुए कि पुनरीक्षणों के संबंध में वैधानिक प्रावधानों को, जैसे कि अपीलों को, उनकी वैधानिक सीमाओं के भीतर सीमित और निहित किया जाना है, यह उल्लेख किया जा सकता है कि राम रिख बनाम हरियाणा राज्य, आदि में मेरे सामने इसी तरह का प्रश्न उठा था (2). उस मामले में भी, उत्तर भारत नहर और जल निकासी अधिनियम की धारा 30-ए के तहत इसके प्रकाशन द्वारा जल-प्रवाह के संरेखण में बदलाव के लिए एक योजना शुरू की गई थी। आपत्तियों को सुनने के बाद, इस मामले पर विचार कर रहे संभागीय नहर अधिकारी ने बदलाव की सिफारिश नहीं की। पीड़ित अधिकार धारक ने धारा 30-बी की उप-धारा (3) के तहत अपनी पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधीक्षण नहर अधिकारी का रुख किया, जिन्होंने मांगी गई राहत प्रदान की। रिट याचिका में मेरे समक्ष यह तर्क दिया गया था कि संभागीय नहर अधिकारी द्वारा अनुमोदित होने पर अधीक्षण नहर अधिकारी द्वारा योजना को संशोधित किया जा सकता है। मैं किसी भी आधार पर स्वतंत्र रूप से इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि प्रावधानों की भाषा, जिस पर मेरे प्रभु, मुख्य न्यायाधीश ने विस्तार से कहा है, ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अधिनियम के तहत एक योजना डिवीजनल कैनाल अधिकारी के पास से निकलती है, जिसे आपत्तियों को सुनने के बाद इसे प्रकाशित या ऐसे संशोधित रूप में अनुमोदित करना होता है जो वह उचित समझता है; और जब योजना स्वयं डिवीजनल कैनाल अधिकारी के पास खुद को स्वीकार नहीं करती है, जो इसे अनुमोदन के लिए अधीक्षण कैनाल अधिकारी को प्रस्तुत नहीं करता है, तो मामला वहीं समाप्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में, ऐसी कोई योजना नहीं है जिसे संशोधित करने की आवश्यकता हो।

(9) मुझे प्रस्तावित आदेश से सहमत होने में कोई संकोच नहीं है कि दोनों मामलों में अधीक्षण नहर अधिकारी के विवादित आदेशों को रद्द किया जाना है, क्योंकि लागत के बारे में कोई आदेश नहीं है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कि सी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

पीयूष चौधरी
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
जगाधरी, हरियाणा